

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
वैशाली, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया, भोजपुर, सारण (छपरा), औरंगाबाद, नवादा एवं
शेखपुरा।

विषय:-

बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए कुल ₹ 2,03,03,000/- (दो करोड़ तीन लाख तीन हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

पटना, दिनांक- 9-2-2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के विभिन्न विषय शीर्षों के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिये कुल ₹ 2,03,03,000/- (दो करोड़ तीन लाख तीन हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सर्वप्रथम संविदा पर कार्यरत कर्मियों एवं तत्काल कार्यपालक सहायकों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

११२

(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
वैशाली, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया, भोजपुर, सारण (छपरा), औरंगाबाद, नवादा एवं
शेखपुरा।

पटना, दिनांक- 2017

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए कुल ₹ 2,03,03,000/- (दो करोड़ तीन लाख तीन हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के विभिन्न विषय शीर्षों के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिये कुल ₹ 2,03,03,000/- (दो करोड़ तीन लाख तीन हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सर्वप्रथम संविदा पर कार्यरत कर्मियों एवं तत्काल कार्यपालक सहायकों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन
ह0/-
(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक संख्या-5/बजट 1-04/2016 सा0-.....⁰⁹...../ पटना, दिनांक- 9/2 /2017
प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया, भोजपुर, सारण (छपरा), औरंगाबाद, नवादा एवं शेखपुरा को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

६
११
सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-0001-जिला प्रशासन) आवंटन:-

क्र० सं०	जिला का नाम	वैशाली	सुपौल	मागलपुर	समस्तीपुर	पूर्णिया	भोजपुर	सारण (छपरा)	औरंगाबाद	नवादा	शेखपुरा	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	वेतन	22,00,000	31,00,000	0	0	0	0	0	0	0	0	53,00,000
2	जीवन यापन भत्ता	25,00,000	40,00,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,00,000
3	मकान किराया भत्ता	2,00,000	1,50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,50,000
4	चिकित्सा भत्ता	1,00,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
5	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	50,000	0	2,12,000	0	0	10,000	0	0	0	2,72,000
6	यात्रा व्यय	0	50,000	0	0	0	2,00,000	0	0	0	0	2,50,000
7	कार्यालय व्यय	0	10,00,000	0	0	0	10,00,000	0	0	0	0	20,00,000
8	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	0	5,00,000	0	0	0	10,00,000	0	0	0	0	15,00,000
9	दूरभाष व्यय	0	1,00,000	0	0	0	3,00,000	0	0	0	0	4,00,000
10	विद्युत प्रभार	0	5,85,000	0	0	0	2,86,000	0	0	0	0	8,71,000
11	बर्दी/पोशाक	0	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	1,60,000
12	किराया, महसूल एवं कर	0	10,00,000	0	0	0	5,00,000	0	0	0	0	15,00,000
13	आतिथ्य व्यय	0	1,00,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
14	व्या0 एवं विशेष सेवाएँ	0	0	2,00,000	0	2,00,000	0	0	2,00,000	2,00,000	2,00,000	10,00,000
	कुल योग	50,00,000	107,15,000	2,00,000	2,12,000	2,00,000	33,66,000	10,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	203,03,000

(दो करोड़ तीन लाख तीन हजार रुपये) मात्र।

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग